सं. सी.14017/3/2016-विजि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
निर्माण भवन, नई दिल्ली
सतर्कता प्रभाग

कमरा सं. 414, डी विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकारियों को नामित किए जाने हेतु पैनल बनाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह उल्लेख करने का निदेश हुआ है कि विभागीय जांच करवाने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेने का मामला काफी समय से विचाराधीन है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के तहत मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल बनाया जाएगा और उनसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की विभागीय जांच कराई जाएगी।

2. यह प्रस्ताव है कि निम्नलिखित स्थानों पर विभागीय जांच कराने के लिए जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने हेतु केंद्र सरकार और स्वायत्त संगठनों में ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाएगा जिनका स्तर उप-सचिव या समकक्ष से कम न हो:-

(i) नई दिल्ली (ii) पुणे (iii) हैदराबाद
(iv) मुम्बई (v) चेन्नई (vi) बैंगलुरू
(vii) कोलकाता

3. पैनल की वैधता :- विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों के तैयार किये गए पैनल की वैधता की अवधि तीन वर्ष होगी।

4. सतर्कता मामलों में विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारियों के तौर पर इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्त करने के लिए पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(i) जांच अधिकारी के तौर पर कार्य करने की इच्छा रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु उसके पैनल में शामिल किए जाने वाले वर्ष में 1,जून को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ii) उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
(iii) वह किसी भी लंबित जांच में आरोपी अधिकारी नहीं होना चाहिए तथा सत्यनिष्ठा के मामले में उसकी छवि बेदाग होनी चाहिए।

5. सतर्कता मामलों की विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी के तौर पर कार्य करने के इच्छुक केंद्र सरकार /स्वायत्त संगठन के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका स्तर उप-सचिव से कम न हो। आवेदन का एक प्रपत्र संलग्न है।

6. किसी जांच अधिकारी को सौंपे जाने वाले अनुशासनात्मक मामलों की संख्या किसी एक वर्ष में 20 मामलों तक सीमित होगी, और एक बार में 4 से अधिक मामले नहीं होंगे।

7. जांच अधिकारी को भुगतान किए जाने वाले मानदेय तथा अन्य भत्तों की दरें निम्नानुसार होंगी:-

ब्यौरा			दर प्रति मामला (रु. में)	
मद	श्रेणी	जांच कार्यवाही पूरी करने में लगा समय	उप-सचिव /निदेशक	संयुक्त सचिव और उससे ऊपर
मानदेय	'I'	45 दिनों के भीतर	रु.60000	रु. 75000
	'II'	90 दिनों के भीतर	रु.40000	रु. 50000
	'III'	90 दिनों से ज्यादा	रु.30000	रु. 40000
यात्रा भत्ता			रु. 40000/- प्रति मामला	
सचिवालयी कार्य में सहायता			प्रति मामला 30000/- रु. यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई सचिवालयी सहायता नहीं प्रदान की गई है।	

8. जिन जांच अधिकारियों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाएगा, उनकी सेवाएं नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएंगी।
9. इस कार्यालय को आवेदन 30-06-2016 से पहले भेज दिए जाएं।

(ललित कपूर)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली. सं. 23061143 (कार्यालय)

सेवा में,

सभी मंत्रालय / विभाग (सूची के अनुसार)

प्रति:

(i) अवर सचिव (सीडीएन-I) को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय ज्ञापन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिचालित किया जाए तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इसे अपलोड किया जाए ताकि इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकें।

(ii) अवर सचिव (एवीडी-I), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि डीओपीटी की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करके परिचालित किया जाए।

विभागीय जांच करने के लिए जांच अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियुक्त हेतु आवेदन पत्र

अधिकारी का नाम
(साफ शब्दों में) :

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त की तारीख :

आवेदन करने की तारीख को आयु :

सेवानिवृत्त से पहले धारण किया गया अंतिम पद :

सेवा के दौरान धारण किए गए पदों और मंत्रालय का ब्यौरा :

क्या आपको कभी जांच अधिकारी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है :

यदि हां तो उसका ब्यौरा दें :

क्या आप अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली :

क्या सेवाकाल के दौरान आपके ऊपर कोई शास्ति लगाई गई थी :

यदि हां तो उसका ब्यौरा दें :

नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर,
स्थाई/वर्तमान पता तथा दूरभाष संख्या

स्थान :

दिनांक :